FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0145 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 02/06/2026 18:23 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 20/05/2026 **Date To (दिनांक तक):** 29/05/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:15 बजे **Time To (समय तक):** 12:16 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 02/06/2026 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 005 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 02/06/2026 18:23:25 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 10 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** 43, ISKON ROAD, RATANSAGAR COLONY, POLICE THANA PATRKAR COLONY, MANSAROVAR JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAMKANYA GURJAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** LADHURAM GURJAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2002 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	ANANDPURA, KOTKHAWADA, CHAKSU, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	ANANDPURA, KOTKHAWADA, CHAKSU, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ANIL KUMAR		पिता:SUBASH CHANDRA JAT	1. 43,ISKON ROAD,POLICE THANA PATRAKAR COLONY,RATANSAGAR COLONY,MANSAROVAR,JAIPUR CITY

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		40,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 40,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 20.05.2026 को परिवादिया सुश्री रामकन्या गुर्जर पुत्री श्री लादूराम गुर्जर उम्र 24 निवासी आनन्दपुरा तह. कोटखावदा थाना चाकसु जि. जयपुर ने श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एस.यू. प्रथम के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय कि प्रस्तुत कि की मेरे द्वारा 2022 से 2024 तक राजकीय महाविद्यालय सवाईमोधोपुर से 2 वर्ष कि ANM प्रशिक्षण डिग्री प्राप्त की में द्वारा ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी चाकसू को संविधा पर नियुक्ति हेतु तय समय प्रार्थना पत्र दिया गया था भारत सरकार शहरी आयुसमान आरोग्य योजना शुरू की गयी थी इसके इसके पश्चात डायनेमिक मैन पॉवर एण्ड सिक्योरिटी सर्विस जयपुर पता विजय पथ मानसरोवर है। उक्त प्लेसमैंट ऐजन्सी NGO है जिनके द्वारा शहरी आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत डॉक्टर नर्स एएनएम लगाये जाते है। मेरे द्वारा BCMO चाकसू को प्रार्थना पत्र दिया जाने से डायनेमिक मैन पावर एण्ड सिक्योरिटी सर्विस जयपुर द्वारा मुझे मेरे प्रार्थना पत्र पर अपनी एजेन्सी के माध्यम से दिनांक 25.11.2024 को आयुष्मान आरोग्य मन्दिर गुरूडबासी मोड चाकसू पर संविदा पर ज्वाईन करवाया गया था मुझे प्रतिमाह सेलरी के 6300/-रूपये मेरे बैंक खाता संख्या पंजाब नेशनल बैंक में प्राप्त होते है। उक्त एजेन्सी में कार्यरत श्री अनिल मो.नं. ने PF कटौति नहीं करके 1100/-रूपये काट रहा और UAN नंबर नहीं जोड रहा जिससे ESI व PF का मुझे फायदा नहीं मिल रहा है। मेरे द्वारा उनसे सम्पर्क किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा निकाली जाने वाली भर्तियों में बिना PF के बोनस अंक नहीं मिलते है। श्री अनिल से PF व ESI कटौती करने के लिए मिलने पर उसके द्वारा पेनेल्टी आदि व PF चालू करने के लिए 50,000/-रूपये रिश्वत राशि कि मांग की गई। जबकि नियमानुसार ऐसी कोई राशि वैध रूप से नहीं लगती है। मेरे द्वारा विभाग में ऑनलाईन शिकायत की थी श्री अनिल को मैं 50000/-रूपये की रिश्वत नहीं देना चाहती हु । रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथो पकडवाना चाहती हु मेरी श्री अनिल से कोई आपसी रंजिश नहीं है। ना ही कोई उधार का लेन देन है। एसडी प्रार्थी रामकन्या दिनांक 20.05.2026 इसके पश्चात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् अर्चना मीणा पुलिस निरीक्षक को उनके कार्यालय कक्ष में बुलाने पर उनके सामने एक महिला, एक पुरूष व कार्यालय की महिला कानि. बैठी हुयी थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उनके सामने बैठी महिला, उसके भाई से परिचय करवाया जाकर उसके द्वार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर हस्तलिखित पृष्ठांकन कर परिवादिया का प्रार्थना पत्र मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादिया सुश्री रामकन्या गुर्जर उसके प्रार्थना पत्र, उसके पास बैठे उसके भाई श्री रामचरण व महिला कानि. को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आयी। परिवादिया से मजिद दरियाफ्त की जाने पर प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा अपने परिचित से लिखवाकर लाना एवं प्रार्थना पत्र में अंकित सभी तथ्य सही होना बताया गया। प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया जाने सही होना, अपनी जानकारी में होना स्वीकार किया गया। परिवादिया ने बताया कि मेरे द्वारा संविदा पर नौकरी हेतु BCMO चाकसू मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने पर डायनेमिक मैन पावर एण्ड सिक्योरिटी सर्विस जयपुर प्लेसमेंट ऐजेन्सी द्वारा मुझे मेरे प्रार्थना पत्र पर अपनी एजेन्सी के माध्यम से दिनांक 25.11.2024 को आयुष्मान आरोग्य मन्दिर गरूडवासी मोड चाकसू पर संविदा पर ज्वाईन करने पर प्रतिमाह सेलरी के 6300/-रूपये मेरे बैंक खाता संख्या . पंजाब नेशनल बैंक, शाखा चाकसू में प्राप्त होते है। उक्त एजेन्सी में कार्यरत श्री अनिल मो.नं. ' ने PF कटौति नहीं करके 1100/-रूपये काट रहा और UAN नंबर नहीं जोड रहा जिससे ESI व PF का मुझे फायदा नहीं मिल रहा है। मेरे द्वारा उक्त बात मेरे रिश्ते के चाचा श्री राधेश्याम पुत्र श्री जगदीश गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र 46 वर्ष , निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील एवं पुलिस थाना चाकसू जिला जयपुर को बतायी जाने पर उनके साथ जाकर श्री अनिल से सम्पर्क किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा निकाली जाने वाली भर्तियों में बिना PF के बोनस अंक नहीं मिलते है। श्री अनिल से PF व ESI कटौती करने के लिए मिलने पर उसके द्वारा पेनेल्टी आदि व PF चालू करने के लिए मेरे सामने मेरे पिताजी की बुआ के बेटे मेरे चाचा श्री राधेश्याम से 50,000/-रूपये रिश्वत राशि कि मांग की गई। जबकि नियमानुसार ऐसी कोई राशि वैध रूप से नहीं लगती है। मेरे द्वारा विभाग में ऑनलाईन शिकायत की थी श्री अनिल को मैं 50000/-रूपये की रिश्वत नहीं देना चाहती हु । रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथो पकडवाना चाहती हु मेरी श्री अनिल से कोई आपसी रंजिस नहीं है, ना ही कोई उधार का लेन देन शेष है। परिवादिया ने बताया कि चाचा श्री राधेश्याम दूध बेचने का कार्य करते है जिनको रास्ते से साथ लेकर जाउंगी क्योंकि पिछली बार भी वही गये थे जिनसे ही श्री अनिल बता करेगे। परिवादिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से मामला रिश्वत राशि मांग

का पाया जाने से सत्यापन करवाया जाने के लिये कार्यालय की अलमारी से एक SONY कम्पनी का डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मंगवाया जाकर उसमें kingston कम्पनी का 32 GB क्षमता का नया माईक्रो एस.डी. कार्ड लगवाया जाकर उपस्थित परिवादिया सुश्री रामकन्या गुर्जर पुत्री श्री लादूराम गुर्जर जाति गुर्जर, उम्र 24 वर्ष, निवासी गांव आनन्दपुरा, तहसील कोटखावदा, पुलिस थाना चाकसू जिला जयपुर हाल संविदाकर्मी प्रसाविका (ए.एन.एम) शहरी आयुष्मान आरेग्य मन्दिर गरूडवासी मोड चाकूस द्वितीय को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित कर चालू व बन्द करने की विधि नियमानुसार समझाई गयी। कार्यालय पर पदस्थापित श्रीमती सावित्री महिला कानि.नम्बर 91 को तलब किया गया। परिवादिया सुश्री रामकन्या गुर्जर से महिला कानि. का आपस में परिचय करवाया जाकर कार्यालय का उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर परिवादिया को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाने के लिये श्रीमती सावित्री महिला कानि. को सुपुर्द कर आवश्यक निर्देश दिये गये कि परिवादिया सुश्री रामकन्या गुर्जर को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु एसओ के पास रवाना करने से पूर्व डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादिया को सुपुर्द कर रवाना करे तथा परिवादिया के आस पास रहकर दोनो के मध्य होने वाली वार्ता को गोपनीयता बरतते हुये, सुनने का प्रयास करें तथा संदिग्ध द्वारा परिवादिया से रिष्वत मांग किये जाने सम्बन्धी आपस में होने वाली वार्ता के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड होने के पष्चात् मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश करे। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकॉर्ड पृथक से तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गयी। इसके पश्चात परिवादिया सुश्री रामकन्या के साथ उपस्थित आये उसके भाई रामचरण गुर्जर को उसकी मोटर साईकिल एवं श्री रविन्द्र कानि. की मोटर साईकिल पर श्रीमती सावित्री महिला कानि. नम्बर 91 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाने के लिये रवाना डायनेमिक मैन पावर एण्ड सिक्योरिटी सर्विस मानसरोवर जयपुर के कार्यालय पर किया गया। परिवादिया सुश्री रामकन्या, श्री रामचरण, श्री रविन्द्र कानि., श्रीमती सावित्री महिला कानि. एवं श्री राधेश्याम के उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये। श्रीमती सावित्री महिला कानि. ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किया गया। परिवादिया ने बताया मैं मेरे भाई की मोटरसाईकिल पर एवं श्रीमती सावित्री व श्री रविन्द्र कानि. अपनी मोटरसाईकिल पर रवाना होकर महारानी फार्म एसएफएस पहुचे जहॉ पर मेरे पिताजी की बुआ के बेटे मेरे चाचा श्री राधेश्याम मिले थे जिसको साथ लेकर मानसरोवर में डायनेमिक मैन पावर एण्ड सिक्योरिटी सर्विस जयपुर के ऑफिस रतन सागर कॉलोनी से कुछ पहले पहुचे जहॉ पर श्रीमती सावित्री ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मेरे बतायेनुसार मेरे चाचा श्री राधेश्याम को चालु कर सुपुर्द कर रवाना किया गया था। इसके अलावा सभी वही रूक गये थे। मै व मेरे रिश्त के चाचा श्री राधेश्याम श्री अनिल के कार्यालय पर गये जहॉ पर श्री अनिल चौधरी ने कार्यालय के अन्दर बुला लिया गया जहॉ पर कुलर काफी तेज चल रहा था जिससे मेरे UAN नंबर नही जोडने के सम्बन्ध में वार्ता हुयी। श्री अनिल चौधरी द्वारा 50,000/- रूपये के स्थान 40,000/-रूपये मे UAN नंबर जोडने के लिये सहमति जताई गयी लेकिन मेरे चाचा के सौफा पर बैठने से आप द्वारा भिजवाया गया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर बन्द हो गया था। परिवादिया ने बताया कि UAN नंबर नही जोडने से मुझे ESI व PF का मुझे फायदा नहीं मिल रहा है। श्री अनिल द्वारा बताया गया था कि मैं आपसे बार-बार बात नही करूंगा जो देना हो अभी दे जाओ। तत्पश्चात रवाना होकर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आना बताया गया। परिवादिया द्वारा बतायी गयी सभी बातो की ताईद उपस्थित आये श्री राधेश्याम गुर्जर द्वारा की जाकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर श्रीमती सावित्री महिला कानि. को प्रस्तुत करना बताया गया। श्री राधेश्याम का नाम पता पूछने पर अपना नाम श्री राधेश्याम पुत्र श्री जगदीश गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र 46 वर्ष , निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील एवं पुलिस थाना चाकसू जिला जयपुर होना एवं परिवादिया के पिता की बुआ के बेटे एवं परिवादिया का रिश्ते में चाचा होना बताया गया। महिला कानि. सावित्री द्वारा प्रस्तुत किया गया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना तो परिवादियॉ एवं श्री राधेश्याम द्वारा कही बातो की ताईद हुयी। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिश्वत सम्बन्धि कोई वार्ता दर्ज होना नही होने से परिवादिया व श्री राधेश्याम ने बताया कि दिनांक 21.05.2026 को हमारे से रिश्वत राशि की मांग अनिल जरूर कर लेगा। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में दुरूस्त रखा गया। इसके पश्चात परिवादिया सुश्री रामकन्या, श्री रामचरण व श्रीराधेश्याम को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर दिनांक 21.05.2026 को उपस्थित आने के लिये रूखस्त किया गया। दिनांक 21.05.2026 को परिवादिया सुश्री रामकन्या, श्री रामचरण व सह परिवादी श्री राधेश्याम उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आने पर कार्यालय पर पदस्थापित श्री रविन्द्र कानि. को तलब किया गया। कार्यालय का उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सह परिवादी को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाने के लिये श्री रविन्द्र कानि. को सुपुर्द कर आवश्यक निर्देश दिये गये कि सह परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु एसओ के पास रवाना करने से पूर्व डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर सह परिवादी को सुपुर्द कर रवाना करे तथा संदिग्ध द्वारा परिवादिया से रिश्वत मांग किये जाने सम्बन्धी आपस में होने वाली वार्ता के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड होने के पश्चात मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश करे। इसके पश्चात परिवादिया सुश्री रामकन्या को सह परिवादी श्री राधेश्याम के साथ उसकी मोटर साईकिल एवं श्री रविन्द्र कानि. की मोटर साईकिल पर श्रीमती सावित्री महिला कानि. नम्बर 91 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाने के लिये रवाना डायनेमिक मैन पावर एण्ड सिक्योरिटी सर्विस , रतन सागर कॉलोनी मानसरोवर जयपुर के कार्यालय पर किया गया। इसके कुछ समय पश्चात परिवादिया सुश्री रामकन्या, श्री रविन्द्र कानि., श्रीमती सावित्री महिला कानि. एवं श्री राधेश्याम के उपस्थित ब्यूरो

कार्यालय आये। श्री रविन्द्र कानि. ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किया गया। परिवादिया ने बताया मैं मेरे भाई की मोटरसाईकिल पर एवं श्रीमती सावित्री व श्री रविन्द्र कानि. अपनी मोटरसाईकिल पर रवाना होकर डायनेमिक मैन पावर एण्ड सिक्योरिटी सर्विस जयपुर के ऑफिस से कुछ पहले पहुचे जहाँ पर श्री रविन्द्र कानि. ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मेरे बतायेनुसार मेरे पिताजी की बुआ के बेटे रिश्ते मे मेरे चाचा श्री राधेश्याम को चालु कर सुपुर्द कर रवाना किया गया था । इसके अलावा सभी वही रूक गये थे। मै व मेरे पिताजी की बुआ के बेटे श्री राधेश्याम जो मेरा चाचा लगता है श्री अनिल के कार्यालय रतन सागर कॉलोनी मानसरोवर जयपुर पर गये जहाँ पर उसने हमे अन्दर बुला लिया गया तथा मुझे बाहर रहने के लिये कहाँ गया लेकिन मै अन्दर चली गयी थी फिर मेरे चाचा को दूसरे कमरे मे ले गया वहाँ पर भी मै चली गयी थी जिससे मेरे UAN नंबर नही जोडने के सम्बन्ध में वार्ता हुयी जिसके द्वारा 50,000/-रूपये के स्थान 40,000/- रूपये मे UAN नंबर जोडने के लिये सहमति जताई गयी एवं रिश्वत राशि की मांग की गयी, उसने मुझे कहाँ कि तुम बहार रहो इस पर मैने कहाँ कि काम तो मेरा है तथा उसके द्वारा बातचीत के दौरान दुपट्टे मे क्या है मेरे द्वारा क्लीचर होना बताया था जिससे मेरे उपर शंका की है तथा विश्वास के लिये श्री राधेश्याम द्वारा 5000/-रूपये बतौर रिश्वत राशि श्री अनिल को दी जाने पर उसके द्वारा उक्त राशि प्राप्त कर ली गयी तथा शंका होने पर श्री राधेश्याम को उक्त राशि वापस लौटाते हुये बोला की एक साथ पूरे 40,000/-रूपये आज ही दे देना। श्री अनिल ने अपने बचाव में रसीद देने की बात कही है जो अपने बचाव में शंका होने के लिये कही है वो कह रहे थे एक ही काम के लिये आदमी इतनी बार थोडी आयेगा। इसके पश्चात श्री अनिल अपने हाथ धोने लग गये। हमें आज ही पैसे लेकर बुलाया है। हमारे द्वारा बहाना बनाकर 2,2.30 घण्टे का समय चाहा गया है। सह परिवादी श्री राधेश्याम द्वारा भी परिवादिया की कही हुयी बातो की हूबहू ताईद की गयी। इसके पश्चात श्री रविन्द्र कानि. द्वारा प्रस्तुत किया गया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना तो परिवादियॉ एवं श्री राधेश्याम द्वारा कही बातो की ताईद हुयी एवं आरोपी श्री अनिल द्वारा 5,000/-रूपये प्राप्त कर वापस सह परिवादी श्री राधेश्याम को लोटाने एवं आज ही पूरी रिश्वत राशि 40,000/-रूपये प्राप्त करने पर उतारू होने से परिवादिया एवं सहपरिवादिया को रिश्वत राशि की व्यवस्था करने के लिये कहाँ जाने पर गांव जाकर व्यवस्था करके लाने के बारे में बताया गया जिसमे समय लगना तय है। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लेकर दिनांक 21.05.2026 को ही बुलाया जाने से रिश्वत राशि मांग की फर्द अनुलिपी तैयार नही की गयी। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में दुरूस्त रखा गया। दिनांक 21.05.2026 को दोनो स्वतंत्र गवाह के उपस्थित आने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने नाम पता पूछा गया तो एक स्वतंत्र गवाह ने अपना नाम श्री अवनीश कुमार शर्मा हाल संस्थापन अधिकारी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर वृत्त उत्तर जयपुर व दूसरे ने अपना नाम श्री अभिषेक शर्मा हाल संस्थापन अधिकारी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर वृत्त उत्तर जयपुर होना बताया । परिवादिया सुश्री रामकन्या व सह परिवादी श्री राधेश्याम से दोनों स्वतंत्र गवाह का आपस में परिचय करवाया जाकर दोनों स्वतंत्र गवाह को परिवादिया सुश्री रामकन्या का प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया जाकर परिवादिया के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के बारे में अवगत कराया जाकर गवाह बनने की सहमति चाही जाने पर दोनों गवाह ने गवाह बनने की पृथक-पृथक अपनी मौखिक सहमति प्रदान की गयी। इसके पश्चात परिवादिया के प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकालकर परिवादिया सुश्री रामकन्या, सह परिवादी श्री राधेश्याम व आरोपी श्री अनिल चौधरी डायनेमिक मैन पावर एण्ड सिक्योरिटी सर्विस जयपुर के मध्य आज दिनांक 21.05.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट बनाये जाने हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्ड को लेपटॉप की सहायता से सुनकर गवाहो की उपस्थिति में रिश्वत राषि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पृथक से तैयार की जाकर लैपटॉप की सहायता से तीन सीडीयॉ मार्क A-1, A -2, A-3 तैयार की जाकर मार्क A-1, A-2, को अलग-अलग सफेद कपडे की थैली मे रखकर शील्ड मोहर कर कब्जे एसीबी लिया गया व सीडी मार्क A-3, को अनुसंधान अधिकारी के लिये खुली रखी गयी। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड Kingston कम्पनी का 32 GB जिसमें उक्त वार्ता रिकॉर्ड है को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे से निकालकर मेमोरी कार्ड के कवर मे रखकर कवर को सफेद कपडे़ की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर कपडे की थैली पर मार्क- M-1 अंकित कर सिलचिट चस्पा कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट/अनुलिपी पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गयी। दिनांक 22.05.2026 को परिवादिया सुश्री रामकन्या गुर्जर हाल संविदाकर्मी प्रसाविका (ए.एन.एम) शहरी आयुष्मान आरोग्य मन्दिर गरूडवासी मोड चाकसू द्विितीय जयपुर एवं उसके साथ उपस्थित आये परिवादिया के पिताजी के बुआ के बेटे चाचा सह परिवादी श्री राधेश्याम पुत्र श्री जगदीश गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र 46 वर्ष , निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील एवं पुलिस थाना चाकसू जिला जयपुर रिश्वत राशि की व्यवस्था कर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये जिनको रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में संदिग्ध आरोपी श्री अनिल कुमार चौधरी , डायनेमिक मैनपावर एण्ड सिक्योरिटी सर्विसेज जयपुर (प्लेसमेंट ऐजेन्सी ए.एन.एम)। मोबाईल नम्बर
को उसकी मांग के अनुशरण में दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने के लिये कहने पर परिवादिया ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 80 नम्बरी नोट कुल राशि 40,000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किये गये। उपस्थित परिवादिया सुश्री रामकन्या ने बताया कि श्री अनिल मेरे से पैसे नही लेकर मेरे चाचा श्री राधेश्याम से ही पैसे लेगा

तथा पैसो की बात भी उसी से की है। वर्णित नम्बरी नोट पर श्री शिवशंकर , सहायक प्रशासनिक अधिकारी भ्रनिब्यूरो एस.यू प्रथम जयपुर से कार्यालय की आलमारी में रखी हुई फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर गवाहान एव परिवादिया एवं सहपरिवादी की मौजूदगी में फिनोफ्थैलीन पाउडर एक अखबार पर डलवाकर उक्त नम्बरी नोटो पर फिनोफ्थैलीन पाउडर भलीभांति लगवाया गया। तत्पश्चात सह परिवादी श्री राधेश्याम गुर्जर की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री अवनीश कुमार शर्मा से निवाई गई तो सह परिवादी श्री राधेश्याम के पास एक मोबाईल मिला है जो सह परिवादी के पास छोडा है। इसके अतिरिक्त सह परिवादी श्री राधेश्याम के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। परिवादिया सुश्री रामकन्या की जामा तलाशी श्रीमती सावित्री महिला कानि. से लिवाई जाने पर कोई आपत्तिजनक वस्तु, राशि नही होना पाया गया। इसके पश्चात श्री शिवशंकर सहायक प्रशासनिक अधिकारी से फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त 40,000/-रूपये सह परिवादी श्री राधेश्याम के पहने हुये पेंन्ट के दाहिने साईड के जेब में रखवाये गये। परिवादिया एवं सह परिवादी श्री राधेश्याम को हिदायत दी गई कि उक्त पाउडर युक्त नोटो को आरोपी श्री अनिल द्वारा मांगने पर ही उसको रिश्वत के रूप में देवें। इससे पूर्व इन नोटो को हाथ नहीं लगावे तथा किसी भी सूरत में संदिग्ध आरोपी से हाथ नहीं मिलावे केवल हाथ जोडकर ही अभिवादन करे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद परिवादिया एवं सह परिवादी को अपने- अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या परिस्थितिनुसार अपने मोबाईल नं. से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नं. पर मिस्ड काल कर ट्रेप पार्टी को निर्धारित ईषारा करे। परिवादिया एवं सह परिवादी को ये हिदायत दी गई कि आरोपी रिश्वत राशि लेकर कहा रखता है इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखे तथा स्वतन्त्र गवाहान को हिदायत दी गई थी परिवादी , सहपरिवादी या आरोपिया के आस-पास रहकर परिवादीगण व आरोपी के बीच होने वाली आपसी रिश्वत लेन-देन कार्यवाही व वार्ता को सुनने व रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने का प्रयास करे। उक्त कार्यवाही की रासायनिक प्रक्रिया का महत्व समझाया जाकरर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सह परिवादी को सुपुर्द करने के लिये श्री रविन्द्र कानि. को सुपुर्द किया गया। इस कार्यवाही की पृथक से विस्तृत फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एंव प्रदर्शन फिनोफ्थैलीन एंव सोडियम कार्बोनेट पाउडर व फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मूर्तिब की जाकर शामिल कार्रवाई की गयी। इसके पश्चात मन् अर्चना मीना पुलिस निरीक्षक, श्री रमेश चंद सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री जगदीश मुख्य आरक्षी, स्टाफ श्री यशपाल कानि, श्री रविन्द्र कानि.,श्रीमती सावित्री महिला कानि.,श्री पिन्टू मुख्य आरक्षी एस.यू.द्वितीय मय स्वतंत्र गवाह श्री अविनाश शर्मा, श्री अभिषेक शर्मा मय परिवादिया सुश्री रामकन्या मय सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूएल 6424 चालक हंसराज व टवेरा नम्बर आरजे 14यूसी 8792 चालक विजयपाल मय अनुसंधान सामग्री ट्रेप बॉक्स,लेपटॉप प्रिन्टर व सहपरिवादी श्री राधेश्याम अपनी मोटर साईकिल के बजानिब डायनेमिक मैनपांवर एण्ड सिक्योरिटी सर्विसेज जयपुर मानसरोवर के मुहाना मण्डी रोड पर स्थित रतनसागर कॉलोनी की तरफ रवाना हुये। मन् अर्चना मीना पुलिस निरीक्षक, श्री रमेश चंद सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री जगदीश मुख्य आरक्षी, स्टाफ श्री यशपाल कानि, श्री रविन्द्र कानि.,श्रीमती सावित्री महिला कानि., श्री पिन्टू मुख्य आरक्षी एस.यू.द्वितीय मय स्वतंत्र गवाह श्री अविनाश शर्मा, श्री अभिषेक शर्मा मय परिवादिया सुश्री रामकन्या मय सरकारी वाहन बोलेरो व टवेरा मय चालक अनुसंधान सामग्री ट्रेप बॉक्स,लेपटॉप प्रिन्टर व सहपरिवादी श्री राधेश्याम अपनी मोटर साईकिल के रतनसागर कॉलोनी में संदिग्ध आरोपी श्री अनिल कुमार चौधरी के ऑफिस से कुछ पहले पहुॅचे जहॉ पर रूककर परिवादिया सुश्री रामकन्या व सह परिवादी श्री राधेश्याम को आरोपी श्री अनिल चौधरी को रिश्वत राशि देने के लिये श्री रविन्द्र कानि.द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द करने के लिये रवाना किया गया एवं सभी अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादिया एव सह परिवादी के पीछे-पीछे रवाना होकर निर्धारित ईशारा में मुकीम रहे। कुछ समय पश्चात परिवादिया सुश्री रामकन्या गुर्जर व सह परिवादी श्री राधेश्याम बिना निर्धारित ईशारा किये हुये ही श्री अनिल कुमार चौधरी के मकान से बहान निकलकर अपनी मोटरसाईकिल पर सवार होकर आते दिखायी दिये जिनके पीछे-पीछे रवाना होकर मैन रोड पर आये जिनसे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द किया गया। परिवादिया व सहपरिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आप से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर मोटरसाईकिल पर सवार होकर श्री अनिल कुमार चौधरी के मकान के बाहर मोटर साईकिल खडी कर अन्दर प्रवेश किया गया जहॉ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसने बताया कि श्री अनिल सर उपर रेस्ट करने गये हुये है आप 2.00 घण्टे बाद वापस आना, इसके बाद रवाना होकर वापस आना बताया गया। परिवादिया एवं सह परिवादी द्वारा बतायी गयी बातो के सम्बन्ध में संदिग्ध आरोपी के कार्यालय के पास ही 2.00 घण्टे इन्तजार में मुकीम रहने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात मन् अर्चना मीना पुलिस निरीक्षक, श्री रमेश चंद सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री जगदीश मुख्य आरक्षी, स्टाफ श्री यशपाल कानि, श्री रविन्द्र कानि.,श्रीमती सावित्री महिला कानि.,श्री पिन्टू मुख्य आरक्षी एस.यू.द्वितीय मय स्वतंत्र गवाह श्री अविनाश शर्मा, श्री अभिषेक शर्मा मय परिवादिया सुश्री रामकन्या मय सरकारी वाहन बोलेरो व टवेरा मय चालक अनुसंधान सामग्री ट्रेप बॉक्स,लेपटॉप प्रिन्टर व सहपरिवादी श्री राधेश्याम अपनी मोटर साईकिल के रतनसागर कॉलोनी में संदिग्ध आरोपी श्री अनिल कुमार चौधरी के ऑफिस से कुछ पहले पहुचे जहॉ पर रूककर परिवादिया सुश्री रामकन्या व सह परिवादी श्री राधेश्याम को आरोपी श्री अनिल चौधरी को रिश्वत राशि देने के लिये श्री रविन्द्र कानि.द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द करने पर रवाना किया गया एवं सभी अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादिया एव सह परिवादी के पीछे-

पीछे रवाना होकर निर्धारित ईशारा में मुकीम रहे। कुछ समय पश्चात परिवादिया सुश्री रामकन्या गुर्जर व सह परिवादी श्री राधेश्याम बिना निर्धारित ईशारा किये हुये ही श्री अनिल कुमार चौधरी के मकान से बहान निकलकर अपनी मोटरसाईकिल पर सवार होकर आते दिखायी दिये जिनके पीछे-पीछे रवाना होकर मैन रोड पर आये जिनसे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द किया गया। परिवादिया व सहपरिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आप से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर मोटरसाईकिल पर सवार होकर श्री अनिल कुमार चौधरी के मकान के बाहर मोटर साईकिल खडी कर अन्दर प्रवेश किया गया जहॉ पर श्री अनिल कुमार चौधरी मौजूद मिला जिसने हम दोनो को बिठाकर चाय पिलाकर वार्तालाप की गयी। सुश्री रामकन्या ने बताया कि श्री अनिल कुमार चौधरी ने कार्यालय मे काम कर रहे व्यक्ति से मेरा PF कटौति के लिये UN नंबर जोडने के लिये बोला गया तथा मुझे उसके पास भेजा जाने पर मेरे से मेरे आधार नम्बर व अन्य दस्तावेजो की जानकारी ली जाकर ऑनलाईन किया गया। मुझे कहॉ कि 4-5 दिन में आपका ऑनलाईन हो जायेगा व आपका पीएफ कटने लग जायेगा। श्री राधेश्याम ने बताया कि आज शंका होने से श्री अनिल कुमार चौधरी ने पैसे नही लिये है तथा मेरे मोबाईल नम्बर नोट करके कहॉ कि आपसे सम्पर्क कर लूंगा। श्री राधेश्याम ने बताया कि शंका होने से मेरे से रिश्वत राशि के नम्बरी नोट नही लिये लेकिन उसका पैसे लेने का उ्ददेश्य है जो मुझे अवश्य फोन करके कुछ दिन बाद मे प्राप्त करेगा।
इसके पश्चात मन् अर्चना मीना पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के रतन सागर कॉलोनी मुहाना मण्डी रोड से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पर पहुचे। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने सह परिवादी श्री राधेश्याम के पहने हुये पेन्ट की दाहिने जेब से गवाह श्री अवनीश कुमार से रिश्वत राशि निकलवायी जाकर गिनवाने पर गवाह द्वारा पूरी रिश्वत राशि 40,000/-रूपये होना बतायी गयी जिनसे गवाह श्री अवनीश कुमार से एक खाकी कलर के लिफाफे मे रखवायी जाकर कार्यालय की अलमारी मे दुरूस्त रखवाये गये। गवाह एवं सह परिवादी के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह से धुलवाये गये। रिश्वत राशि 40,000/-रूपये को लिफाफे सहित कार्यालय की अलमारी मे दुरूस्त रखा गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर सुना जाने पर परिवादिया व सह परिवादी की कही हुयी बातो की पुष्टि हुयी। परिवादिया व सहपरिवादी ने अपने घर पर आवश्यक कार्य होने से घर पर जल्दी जाने के बारे में बताया गया, जिससे दिनांक 22.05.2026 को हुयी फर्द रूपान्तरण वार्ता तैयार नही गयी। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी मे दुरूस्त रखा गया। परिवादिया सुश्री रामकन्या व सह परिवादी श्री राधेश्याम गुर्जर को संदिग्ध आरोपी का फोन आने पर मन् पुलिस निरीक्षक को सूचित करने एवं बिना मुझे बताये आरोपी से सम्पर्क नही करने के बारे मे बताया जाकर गोपनीयता बरतने की हिदायत मुनासिब दी जाकर रूखस्त किया गया एवं दोनो स्वंतत्र गवाह को रूखस्त किया गया। इसके पश्चात दिनांक 29.05.2026 को समय 11.00 ए.एम. पर परिवादिया सुश्री रामकन्या गुर्जर व सह परिवादी श्री राधेश्याम पुत्र श्री जगदीश गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र 46 वर्ष , निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील एवं पुलिस थाना चाकसू जिला जयपुर ने उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये।श्रीमती रामकन्या ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आरोपी श्री अनिल कुमार चौधरी ने मेरे यूएन नम्बर को जोडकर लिंक कर दिये है लेकिन पीएफ के नम्बर सिस्टम मे नही जोडे है तथा आज दिनांक तक की कटौति की राशि मेरे पीएफ में खाता में दर्ज नही की है। श्री राधेश्याम ने बताया कि श्री अनिल कुमार चौधरी ने मुझे दिनांक 27.05.2026 को जरिये दूरभाष से कहॉ कि आप मेरे कार्यालय पर आ जाओ रामकन्या वाला काम 2-3 दिन में हो जायेगा, मैने उसको बाहर रिश्तेदारी मे होना बताया था। इसके पश्चात पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाह उपस्थित आये जिनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री रिकू सिंह हाल वरिष्ठ सहायक, सहायक अभियंता, नगर उपखण्ड अष्टम, मेहन्दी का चौक, , जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर व दूसरे ने अपना नाम श्री अजय कुमार पारीक हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय , जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग , राजस्थान जयपुर होना बताया गया। परिवादिया सुश्री रामकन्या व सह परिवादी श्री राधेश्याम से दोनों स्वतंत्र गवाह का आपस में परिचय करवाया जाकर दोनों स्वतंत्र गवाह को परिवादिया सुश्री रामकन्या का प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया जाकर परिवादिया के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के बारे में अवगत कराया जाकर गवाह बनने की सहमति चाही जाने पर दोनों गवाह ने गवाह बनने की पृथक-पृथक अपनी मौखिक सहमति प्रदान की गयी। इसके पश्चात परिवादिया के प्रार्थना पत्र पर दोनां स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त कार्यवाही में अब तक की गयी कार्यवाही एवं फर्द अनुलिपी से अवगत करवाया गया। इसके पश्चात सह परिवादी श्री राधेश्याम ने बताया कि श्री अनिल कुमार चौधरी रामकन्या से रिश्वत राशि प्राप्त नही करेगा। श्री राधेश्याम ने बताया कि मेरे से 40,000/-रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात ही श्री अनिल कुमार चौधरी सुश्री रामकन्या के मामले में पीएफ को ऑनलाईन कर अग्रिम कार्यवाही करेगा। आरोपी श्री अनिल कुमार चौधरी को उसकी मांग के अनुसार 40,000/-रूपये की रिश्वत राशि दी जाने के लिये परिवादिया सुश्री रामकन्या द्वारा दिनांक 22.05.2026 को प्रस्तुत की गयी थी, आरोपी श्री अनिल कुमार चौधरी द्वारा उक्त दिनांक को रिश्वत राशि प्राप्त नही करने से उक्त रिश्वत राशि एक खाकी रंग के लिफाफा मे रखवाकर कार्यालय की अलमारी में दुरूस्त रखी गयी थी। दिनांक 29.05.2026 को रिश्वत राशि आरोपी श्री अनिल कुमार चौधरी को दी जाने के लिये श्री शिवशंकर सहायक प्रशासनिक अधिकारी से कार्यालय की अलमारी से निकलवाकर लिफाफे बाहर निकलवाकर राशि को गिनने पर भारतीय चलन मुद्रा के 80 नम्बर नोट एवं राशि 40,000/-रूपये होना बताये गये एवं नम्बरो का मिलान पूर्व मे बनायी गयी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से करवायी जाने पर हूबहू होना बतायी गयी। उक्त

नोटो पर पूर्व मे फिनोक्थैलीन पाउडर लगा होना पाया गया। श्री शिवशंकर सहायक प्रशासनिक अधिकारी के हाथ एवं ब्यूरो स्टाफ के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये। श्री शिवशंकर सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं ब्यूरो स्टॉफ एवं स्वतंत्र गवाह के हाथ साबुन पानी से धुलवाये जाकर श्री शिवशंकर को कार्यालय पर छोडा गया इसके पश्चात गवाह श्री रिंकू सिंह से सह परिवादी श्री राधेश्याम की तलाशी लिवायी जाने पर मोबाईल फोन के अलावा कोई भी आपत्तिजनक वस्तु/राशि/दस्तोवज नही पाये गये, श्री राधेश्याम के पहने हुये पेन्ट की दाहिनी साईड के जेब में उक्त राशि श्री शिवशंकर सहायक प्रशासनिक अधिकारी से रखवायी गयी एवं डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया गया। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी रिश्वत राशि व डिजीटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मूर्तिब कर शामिल ट्रेप कार्यवाही की गयी। इसके पश्चात दिनांक 29.05.2026 को समय 11.30 ए.एम को मन अर्चना मीना पुलिस निरीक्षक,श्री रमेश चन्द सहायक उप निरीक्षक पुलिस,मय श्रीमती सावित्री महिला कानि. परिवादिया सुश्री रामकन्या,सहपरिवादी श्री राधेश्याम मय स्वतंत्र गवाह श्री रिंकू सिंह, श्री अजय कुमार मय सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8792 मय चालक व सरकारी मिनी बस नम्बर आरजे 14 सीई 875 में श्री अनोख कुमार मुख्य आरक्षी,श्री रविन्द्र कानि,श्री सुरजभान कानि,श्री महेष कानि,श्री रूपकिषोर कानि, (एस.यू द्वितीय) मय चालक श्री राकेष यादव मय अनुसंधान सामग्री ट्रेप बॅाक्स,लेपटोप प्रिन्टर के बजानिब डायनेमिक मैनपावर एण्ड सिक्योरिटी सर्विसेज मानसरोवर जयपुर के मुहाना मण्डी रोड पर स्थित रतनसागर कालोनी की तरफ रवाना हुये। समय 12.10 पीएम पर रतनसागर कालोनी पहुचे जहां पर रूककर परिवादिया सुश्री रामकन्या व सह परिवादी श्री राधेश्याम को आरोपी श्री अनिल चौधरी को रिश्वत राषि देने के लिये रवाना किया गया एवं सभी अपनी- अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादिया एवं सह परिवादी के पीछे-पीछे होकर ईषारा में मुकीम रहे। इसके पश्चात समय 12.16 पी.एम. पर सह परिवादी श्री राधेश्याम ने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने सिर पर हाथ फेर कर रिश्वत आरोपी श्री अनिल कुमार जाट द्वारा प्राप्त करने के सम्बंध में पूर्व निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय हमराहियान के रवाना होकर प्लॉट नम्बर 43, रतन सागर कॉलोनी, इस्कॉन रोड, मानसरोवर, जयपुर के मैन गेट पर पहुंचे। जहां पर सह परिवादी श्री राधेश्याम गुर्जर व परिवादिया सुश्री रामकन्या गुर्जर उपस्थित मिली। जिनको हमरा साथ लेकर उक्त भवन के मैन गेट पर प्रवेश करने पर पोर्च में एक आसमानी रंग की टी शर्ट व ब्ल्यू रंग की जींस पहने व्यक्ति खडा मिला। जिसकी ओर सह परिवादी श्री राधेश्याम ने ईशारा कर बताया कि यही श्री अनिल कुमार प्रोपराईटर डायनेमिक मैनपांवर एण्ड सिक्योरिटी सर्विसेज जयपुर (प्लेसमेंट ऐजेन्सी ए.एन.एम) है। जिन्होने मेरे से अभी अभी मेरे रिस्ते की भाई की बेटी सुश्री रामकन्या के पीएफ व ईएसआई की राशि उसके सर्विस से लिंक करने के लिये एवं सर्विस में जोडने के लिये मेरे से 40 हजार रूपये कि रिश्वत राशि अपने दांहिने हाथ से प्राप्त कर, गिनकर अपने उक्त भवन के ग्राउण्ड फ्लोर पर स्वयं के कार्यालय कक्ष मे अपनी टेबल पर लगे कम्प्यूटर के कीबोर्ड पर रखकर मेरे पीछे पीछे बाहर आया ओर पानी की बोतल लेकर अपने हाथ धोनें चला गया इतने में ही मैनें आपको निर्धारित ईशारा कर दिया। निर्देशानुसार श्री रविन्द्र कानि से कार्यालय के सरकारी कैमरे से कार्यवाही की विडियोग्राफी आवश्यकता अनुसार करने के निर्देश प्रदान कर शुरू करवाई गई। उक्त भवन के ग्राउण्ड फ्लोर पर अन्य चार-पांच व्यक्ति मौजूद थे जो एसीबी टीम को देखकर मौके से चले गये। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना विभागीय परिचय पत्र दिखाते हुये उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहियान् का परिचय देते हुये आने के मन्तव्य से अवगत कराया व नाम पता पूछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम श्री अनिल कुमार जाट पुत्र श्री सुभाष चन्द जाट, जाति जाट, उम्र 40 साल, निवासी- गांव दिलालपुर पुलिस थाना मण्डलेरा, जिला झुझुन्नू हाल निवासी प्लाट नम्बर 43, रतन सागर कॉलोनी, इस्कॉन रोड, पुलिस थाना पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर, जयपुर हाल प्रॉपराईटर डायनेमिक मैनपांवर एण्ड सिक्योरिटी सर्विसेज जयपुर (प्लेसमेंट ऐजेन्सी ए.एन.एम) होना बताया। मौके पर एक महिला सिलवार शुट पहने हुये आई जिसको मन पुलिस निरीक्षक ने आने के मत्वय से अवगत कराते हुये नाम पता पूछा तो अपना नाम श्रीमति सीमा कुमारी पत्नि श्री अनिल कुमार जाट निवासी- प्लाट नम्बर 43, रतन सागर कॉलोनी, इस्कॉन रोड, पुलिस थाना पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर, जयपुर होना बताया। जिनको की जाने वाली कार्यवाही एवं श्री अनिल कुमार द्वारा प्राप्त की गई रिश्वत राशि के सम्बंध में अवगत करवाया गया। इसके पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने सह परिवादी श्री राधेश्याम गुर्जर से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित हालत में रखा। तत्पश्चात आरोपी श्री अनिल कुमार जाट से मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादिया सुश्री रामकन्या व सह परिवादी श्री राधेश्याम की ओर ईशारा कर पूछा गया कि क्या आपने अभी अभी सह परिवादी श्री राधेश्याम गुर्जर से उसकी भतीजी सुश्री रामकन्या के पीएफ व ईएसआई उसके सर्विस खाता से लिक करने के लिये व शेष कटौती राशि उसके खाते में जोडने के लिये 40,000 रू. रिश्वत राशि अपने हाथो से प्राप्त की है क्या के बारे मे पूछा तो आरोपी श्री अनिल कुमार जाट द्वारा कहा गया कि मेरे पास कोई रिश्वत राशि नही है मेने कोई पैसे नही लिये है। सुश्री रामकन्या द्वारा मुझे आधार कार्ड देरी से दिया गया था, क्यूकि उसके आधार कार्ड में जन्म दिनांक सही नहीं थी जिससे उसका पीएफ जमा नहीं हो पाया था। मैनें सुश्री रामकन्या का पीएफ व ईएसआई में पेनल्टी लगने से उक्त राशि पीएफ विभाग मे पेनल्टी जमा करवाने हेतु लिये है। इस पर उपस्थित परिवादिया एवं सह परिवादी ने बताया कि श्री अनिल कुमार जाट झूठ बोल रहे है परिवादिया ने बताया कि मेरे आधार कार्ड में जन्म दिनांक में त्रुटी थी जो मैनें एक दो दिन में सही करवाकर श्री अनिल कुमार को दे दिया था। इसके पश्चात भी मेरा यूएएन नम्बर, ईएसआई/पीएफ मेरे सर्विस

खाता से लिंक नहीं कर रहे थे। मेरे द्वारा संविदा पर नौकरी हेतु BCMO चाकसू मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने पर डायनेमिक मैन पावर एण्ड सिक्योरिटी सर्विस जयपुर प्लेसमेंट ऐजेन्सी द्वारा मुझे मेरे प्रार्थना पत्र पर अपनी एजेन्सी के माध्यम से दिनांक 25.11.2024 को आयुष्मान आरोग्य मन्दिर गुरूडवासी मोड चाकसू पर संविदा पर ज्वाईन करने पर प्रतिमाह सेलरी के 6300/-रूपये मेरे बैंक खाता संख्या पंजाब नेशनल बैंक में प्राप्त होते है। उक्त एजेन्सी में कार्यरत श्री अनिल कुमार जाट मो.नं. ने PF कटौति नहीं करके 1100/-रूपये काट रहा और UN नंबर नहीं जोड रहा जिससे ESI व PF का मुझे फायदा नहीं मिल रहा है। मेरे द्वारा उक्त बात मेरे रिश्ते के चाचा श्री राधेश्याम पुत्र श्री जगदीश गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र 46 वर्ष , निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील एवं पुलिस थाना चाकसू जिला जयपुर को बतायी जाने पर उनके साथ जाकर श्री अनिल से सम्पर्क किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा निकाली जाने वाली भर्तियों में बिना PF के बोनस अंक नहीं मिलते है। श्री अनिल कुमार जाट से PF व ESI कटौती करने के लिए मिलने पर उसके द्वारा पेनेल्टी आदि व PF चालू करने के लिए मेरे सामने मेरे पिताजी की बुआ के बेटे मेरे चाचा श्री राधेश्याम से 50,000/-रूपये रिश्वत राशि कि मांग की गई। जबकि नियमानुसार ऐसी कोई राशि वैध रूप से नहीं लगती है। मेरे द्वारा विभाग में ऑनलाईन शिकायत की थी। मेरे व मेरे चाचा द्वारा दिनांक 20.05.2026 को एसीबी में प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर रिश्वत मांग सत्यापन के लिये दिनांक 21.05.2026 मुझे व मेरे चाचा को भेजा था। जहां पर श्री अनिल कुमार जाट को पांच हजार रूपये की रिश्वत राशि दी जाने पर आरोपी द्वारा प्राप्त कर पुनः लौटाई गई और कहा की एक साथ पुरे देना, लेकिन दिनांक 22.05.2026 को सक होने से रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की थी। दिनांक 22.05.2026 को मै व मेरे चाचा श्री अनिल कुमार जाट से मिले थे जिनके द्वारा उक्त दिनांक को रिश्वत राशि के सम्बंध में कोई वार्ता नहीं की एवं मेरा यूएन नम्बर चालू कर दिया तथा दो तीन दिन में पीएफ भी चालु होने के बारे में बताया था जिस पर आरोपी श्री अनिल कुमार जाट द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त की जाने से आरोपी को उसके उक्त घर में स्थित फर्म के कार्यालय कक्ष में प्रवेश किया व रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो आरोपी द्वारा अपनी टेबल पर रखे कि बोर्ड पर रखी होने के बारे में बताया गया। जिसको गवाह श्री अजय कुमार पारिक से उठवाई जाकर गिनवाकर पूर्व मे बनायी गयी फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत से मिलान करवायी जाने पर हूबहू होना पायी गयी। उक्त राशि गवाह के पास ही रहने दी गयी। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने हमरा जाप्ते मे से पानी मंगवाकर स्वतंत्र गवाहान् के समक्ष ट्रेप बॉक्स मे से दो साफ प्लास्टिक के गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर कांच के गिलास मे पानी डालकर सोडियम कार्बोनेट की दो चम्मच डालकर मिश्रण तैयार करवाकर उपस्थित गवाहान्, परिवादी व हमराहियान को दिखाया तो रंगहीन होना बताया व स्वीकार किया। उक्त एक गिलास मे श्री अनिल कुमार जाट के दाहिने हाथ के अंगूठे व अंगूलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन के मिश्रण का रंग गुलाबी हो गया। जिसको दो कांच की सीसीयों को साबुन व पानी से साफ धुलवाकर सीसीयो मे आधा आधा डलवाकर सील्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क R-1, R-2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया व इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक के पानी के गिलास मे उक्त प्रक्रिया अपनाई जाकर श्री अनिल कुमार के बाये हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को गिलास मे डुबोकर धुलवाया गया तो बाये हाथ के धोवन के मिश्रण का रंग हल्का गुलाबी हो गया। उक्त धोवन को दो कांच की सीसीयों को साफ साबुन व पानी से धुलवाकर सीसीयो में आधा आधा डलवाकर सील्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क L-1, L-2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात् आरोपी द्वारा रिश्वत राशि जिस स्थान पर रखी गयी थी एवं उक्त बरामदगी स्थान का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से एक कपडे की चिंदी से उक्त कम्प्यूटर पर लगे की बोर्ड के स्थान को साफ कर पूर्व की भांति सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर उक्त चिंदी को उक्त घोल मे डालने पर धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया उक्त धोवन को दो सफैद कांच की सीसीयों मे आधा आधा डलवाकर सील्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क K-1 व K-2 अंकित का सम्ंबधितो हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया तथा कपडे की चिंदी को सुखाने के लिये रखा गया। कपडे़ की चिंदी से धोवन लिया गया था उसे एक सफेद कपडे की थेली मे रखकर बतौर वजह सबूत सील्ड मोहर कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर जब्त कर मार्क "C" अंकित किया गया। तत्पश्चात गवाह श्री अजय कुमार पारिक के पास सुरक्षित रखे गये बरामदशुदा रिश्वत राशि को प्राप्त कर पूर्व में बनाई गई फर्द से मिलान करवाया जाने पर हूबहू होना पाये गये। उक्त सभी नोटां को एक सफेद कागज की चिट लगा कर शिल्ड कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबुत जप्त कर कब्जे ए.सी.बी. लिये गये। श्री अनिल कुमार से उक्त मैसर्स डायनेमिक मैनपांवर एण्ड सिक्योरिटी सर्विसेज जयपुर (प्लेसमेंट ऐजेन्सी ए.एन.एम) से पूछा गया कि किस कम्प्यूटर से परिवादिया सुश्री रामकन्या को भुगतान व पीएफ से सम्बंधित कार्य किये जाते है तो आरोपी द्वारा बताया कि मुझे जानकारी नहीं है मेरे स्टाफ कार्य करता है। श्री अनिल कुमार से पूछा गया कि आपकी फर्म के रजिस्ट्रेशन व परिवादिया से सम्बंधित कार्य के कार्य आदेश की प्रति प्रस्तुत करें। जिस पर आरोपी श्री अनिल कुमार द्वारा अपनी फर्म के श्रम विभाग से रजिस्ट्रेशन की फोटो प्रति व बीसीएमएचओ चाकसू के कार्यालय आदेश क्रमांक 7884 दिनांक 30.11.2024 की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई। जिस पर आरोपी एवं सम्बंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गई। ट्रेप कार्यवाही में पूर्व मे प्राप्त किये गये डिजिटल वॉईस रिकार्डर को प्राप्त कर सुना तो रिश्वत राशि लेन देन की वार्ता दर्ज होना पायी गयी । श्री रविन्द्र कानि व श्री महेश कानि को आरोपी श्री अनिल कुमार को दिये गये कार्य आदेश के सम्बंध में मुख्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय के नाम कार्यालय पत्रांक स्पें 1 दिनांक 29.05.2026 से पत्र जारी कर उक्त संदर्भित सूचना/रिकॉर्ड/दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु रवाना किया गया। श्री अनिल कुमार से पुनः पूछा गया की मैसर्स डायनेमिक मैनपांवर एण्ड सिक्योरिटी सर्विसेज जयपुर का रजिस्ट्रेशन कहां पर करवाया गया था तो श्री अनिल कुमार ने बताया कि मेरे द्वारा वष्र्ा 2014 में उक्त फर्म का रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग राजस्थान में करवाया गया था तथा मैनें पीएफ/ईएसआई विभाग से भी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। मुझे बीसीएमएचओ चाकसू से गरूडवासी जनता क्लिनीक पर 7 कार्मिक लगाने का कार्य आदेश प्रदान किया गया था। जिसमें एक डॉक्टर, दो जीएनएम, एक फार्मास्टिट, एक एएनएम, एक सफाई व एक सहायक कर्मचारी उपलब्ध करवाये जाने थे जो मेरे द्वारा उपलब्ध करवाये गये। सभी कार्मिको को भुगतान सीएमएचओ से मेरे एचडीएफसी बैक शाखा दुर्गापुरा जयपुर मे स्थित खाता संख्या होना बताया गया । श्री अनिल कुमार ने बताया गया कि मेरे द्वारा 6 कार्मिको का यूएन/पीएफ/ईएसआई उनके सर्विस एवं कार्मिक आईडी से लिंक कर दिया था। मेरे द्वारा मासिक उपस्थित के अनुसार कार्मिको की पीएफ का पैसा पीएफ विभाग में व शेष राशि कार्मिक द्वारा उपलब्ध करवाये गये बैक खातो में ऑन लाईन/बैकिग ट्रांजेक्शन से करवाते है। मुझे प्रति कार्मिक एक रूपया राज्य सरकार/सीएमएचओ/बीसीएमएचओ द्वारा प्रदान किये जाते है। श्री अनिल कुमार ने बताया कि करीब 2-3 माह पूर्व मै मेरे उक्त कार्यालय में मौजुद था श्री राधेश्याम गुर्जर व सुश्री रामकन्या मेरे पास आये थे। श्री राधेश्याम ने मुझे बताया कि रामकन्या को निजी कारणों की वजह से 50 हजार रूपये की जरूरत है तो मैनें इनका उसी समय पैसे दे दिये थे तो उन्होने कहा कि मुझे पीएफ/ईएसआई का पैसा व सैलेरी के पैसे में से निकलवाकर मै आपको लौटा दुगी या कटवा दुंगी। इस पर उपस्थित सह परिवादी श्री राधेश्याम व परिवादिया सुश्री रामकन्या ने बताया कि श्री अनिल जी झुठ बोल रहे है। मैनें इनसे कोई पैसा उधार के नहीं लिये। अगर मैनें इनसे उधार के 50 हजार रूपये लिये होते तो आज ये 40 हजार रूपये क्यो ले रहे है । ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्री अनिल कुमार प्रोपराईटर मैसर्स डायनेमिक मैनपांवर एण्ड सिक्योरिटी सर्विसेज जयपुर (प्लेसमेंट ऐजेन्सी) के प्रोपराईटर/संचालक द्वारा राज्य सरकार के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-द्वितीय से निविदा के अन्तर्गत डॉक्टर /एएनएम /जीएनएम /सफाई कर्मचारी का कार्य आदेश प्राप्त कर उक्त कार्य आदेश के अन्तर्गत परिवादिया सुश्री रामकन्या को आयुष्मान आरोग्य मन्दिर गरूडवासी चाकसू में संविदा पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। नियुक्ति के कुछ समय पश्चात परिवादिया सुश्री रामकन्या द्वारा संचालक/प्रोपराईटर डायनेमिक मैनपांवर एण्ड सिक्योरिटी सर्विसेज जयपुर (प्लेसमेंट ऐजेन्सी) को अपना आधार कार्ड आदि दस्तावेज उपलब्ध करवाये गये थे। परिवादिया सुश्री रामकन्या को प्रति माह 6300/- रूपये का भुगतान आरोपी श्री अनिल कुमार द्वारा पीएफ व ईएसआई की कटौती के पश्चात किया जाता रहा है। परिवादिया के यूएएन नम्बर, पीएफ, ईएसआई उसकी एमप्लाई आईडी/सर्विस से लिंक करने(जाडने) के लिये 50,000/- हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग करने पर परिवादिया सुश्री रामकन्या द्वारा दिनांक 20.05.2026 को एसीबी में शिकायत प्रस्तुत की गई। दिनांक 21.05.2026 को परिवादी व सह परिवादी श्री राधेश्याम से रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान 40,000/- हजार रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिये सहमति प्रदान करना एवं सत्यापन के दौरान ही 5,000/- हजार रूपये की रिश्वत राशि सह परिवादी श्री राधेश्याम से प्राप्त की गयी एवं शंका होने पर आरोपी श्री अनिल कुमार द्वारा वापस लौटते हुये एक साथ पुरी रिश्वत राशि देने के बारे में बताया गया। दिनांक 22.05.2026 को आरोपी द्वारा परिवादिया के यूएएन नम्बर आधार कार्ड से लिंक किये गये तथा पीएफ तथा ईएसआई लिंक नहीं किये गये तथा शंका होने पर रिश्वत राशि प्राप्त नही की गयी। दिनांक 27.05.2026 को सह परिवादी श्री राधेश्याम द्वारा जरिये दूरभाष आरोपी श्री अनिल कुमार से सुश्री रामकन्या की पीएफ/ईएसआई चालू/सर्विस खाता से लिंक करने के बारे मे वार्ता की जाने पर आरोपी श्री अनिल कुमार द्वारा दिनांक 28.05.2026 को बुलाया गया। लेंकिन परिवादी द्वारा बाहना बनाकर बाहर होना बताया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री अनिल कुमार की चैक लिस्ट पृथक से मूर्तिब की गयी एवं आरोपी एवं आरोपी की पत्नि को गिरफ्तारी के आधारो की सूचना लिखित में दी गयी। दिनांक 29.05.2026 को सह परिवादी श्री राधेश्याम से उसकी रिश्ते की भतीजी सुश्री रामकन्या के वैध कार्य पीएफ व ईएसआई उसके सर्विस खाते से लिंक एवं जोडने की ऐवज में 40,000/- रूपये की अनुचित रिश्वत राशि अपने स्वयं के लिये सह परिवादी श्री राधेश्याम से अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर, गिनकर अपने कार्यालय कक्ष की कम्प्यूटर टेबल पर रखे की बोर्ड पर रखना, उक्त स्थान से बरामद होना, आरोपी के पास परिवादिया का कार्य लम्बित होना पाया गया। आरोपी के हाथो के धोवन का रंग हल्का गुलाबी व गुलाबी होना पाया गया। आरोपी श्री अनिल कुमार का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधि. 1988 (यथा संषोधित) अधिनियम 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी श्री अनिल कुमार की गिरफ्तारी वांछित होने से मौके पर पृथक पृथक जरिये फर्द नियमानुसार समय 4.00 पीएम पर गिरफ्तार किया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित मैसर्स डायनेमिक मैनपांवर एण्ड सिक्योरिटी सर्विसेज जयपुर के कार्यालय में स्थित किसी भी सामान/कम्प्यूटर/रिकॉर्ड को नुकसान नहीं पहुचाया गया ना ही कब्जा एसीबी लिया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान महिला की गरिमा को ध्यान में रखते हुये सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्यवाही की गई। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि नोट एवं हाथ धुलाई, जप्ती धोवण एवं जप्त रिश्वत राशि आरोपी श्री अनिल कुमार जाट, प्रोपराईटर, डायनेमिक मैनपांवर एण्ड सिक्योरिटी सर्विसेज जयपुर (प्लेसमेंट ऐजेन्सी ए.एन.एम) के कब्जे से पृथक से तैयार की जाकर शामिल ट्रेप कार्यवाही की

गयी। इसके पश्चात समय 4.25 पी.एम. मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादिया सुश्री रामकन्या व सह परिवादी श्री राधेश्याम गुर्जर की निशादेही व दोनों स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में घटनास्थल पर पहुचॅकर फर्द निरीक्षण घटनास्थल जरिये फर्द पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात श्री रविन्द्र कानि. मय श्री महेश कानि. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर गये हुये उपस्थित ट्रेप कार्यवाही स्थान पर आये एवं बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर मेंं पहुॅचकर 08 बिन्दुओ की सूचना/दस्तोवजो की प्रमाणित प्रतियाॅ हेतु पत्र प्रस्तुत करने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर के कार्यालय पत्रांक 51 दिनांक 29.05.206 से 07 बिन्दुओ की सूचना मय दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतियों के प्रस्तुत की गयी जो शामिल ट्रेप कार्यवाही की गयी। पत्रांक स्पेशल- 02 दिनांक 29.05.2026 से मेडीकल ज्यूरिष्ठ , जयपुरिया चिकित्सालय जयपुर के नाम पर तहरीर जारी कर श्री अनोख कुमार मुख्य आरक्षी को आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के लिये सुपुर्द की गयी। इसके पश्चात मन् अर्चना मीना पुलिस निरीक्षक, श्री रमेश चंद सहायक उप निरीक्षक पुलिस, मय श्रीमती सावित्री महिला कानि., परिवादिया सुश्री रामकन्या , सह परिवादी श्री राधेश्याम मय स्वतंत्र गवाह श्री रिंकू सिंह , श्री अजय कुमार मय मय सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8792 मय चालक मय जप्त शुदा रिश्वत राशि, शील्ड शुदा आर्टीकल्स , अनुसंधान सामग्री ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर के मौके से ब्यूरो मुख्यालय के लिये रवाना हुयी एवं श्री अनोख कुमार मुख्य आरक्षी , श्री रविन्द्र कानि., श्री सुरजभान कानि., श्री महेश कानि., श्री रूपकिशोर कानि. (एस.यू. द्वितीय). मय चालक श्री राकेश यादव मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री अनिल कुमार सरकारी मिनी बस नम्बर आरजे 14 सीई 875 में आरोपी श्री अनिल कुमार का जयपुरियाॅ चिकित्सालय जयपुर में पहुचकर स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के लिये निर्देशित कर रवाना किया गया। इसके पश्चात मन् अर्चना मीना पुलिस निरीक्षक, श्री रमेश चंद सहायक उप निरीक्षक पुलिस, मय श्रीमती सावित्री महिला कानि., परिवादिया सुश्री रामकन्या , सह परिवादी श्री राधेश्याम मय स्वतंत्र गवाह श्री रिंकू सिंह , श्री अजय कुमार मय मय सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8792 मय चालक मय जप्त शुदा रिश्वत राशि, शील्ड शुदा आर्टीकल्स , अनुसंधान सामग्री ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर के ब्यूरो मुख्यालय उपस्थित आयी हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। षील्ड शुदा आर्टीकल्स व बरामद शुदा रिष्वत राषि अपने पास अलमारी में दुरूस्त रखी गयी । तत्पश्चात श्री अनोख कुमार मुख्य आरक्षी मय हमराही जाप्ता मय चालक मय आरोपी श्री अनिल कुमार का स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट करवाकर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये। आरोपी श्री अनिल कुमार जाट को निगरानी मे रखा गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकालकर दिनांक 22.05.2026 को परिवादिया सुश्री रामकन्या व सह परिवादी श्री राधेश्याम एवं आरोपी श्री अनिल कुमार व आज दिनांक 29.05.2026 को सह परिवादी श्री राधेश्याम एवं आरोपी श्री अनिल कुमार के मध्य आमने सामने रिश्वत राशि लेन देन के समय हुई वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाये जाने हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्ड को लेपटॉप की सहायता से सुनकर गवाहो की उपस्थिति परिवादिया एवं सह परिवादी से पूछकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पृथक से तैयार की जाकर 02 मेमोरी कार्ड Secure Link 64GB मंगवाये जाकर खाली होना सुनिश्चित कर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमारी कार्ड Kisngston कम्पनी का 32 GB से 02 मेमोरी कार्ड में लैपटॉप की सहायता से कॉपी कर मार्क B-1, B-2 अंकित कर मार्क B-1 को प्लास्टिक के कवर मे रखकर कवर को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर शील्ड मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया व मेमोरी कार्ड मार्क B-2 को अनुसंधान अधिकारी के लिये खुला रखा गया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड Kingston कम्पनी का 32 GB जिसमें उक्त वार्ता रिकॉर्ड है को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे से निकालकर मेमोरी कार्ड के कवर मे रखकर कवर को सफेद कपडे़ की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर कपडे की थैली पर मार्क M-2 अंकित कर प्लास्टिक के कवर मे रखकर कवर को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर शील्ड मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया । फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट/अनुलिपी रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गयी। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने प्रकरण के आरोपी श्री अनिल कुमार को अपनी आवाज का नमूना देने के लिये जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज देने के लिये कहाॅ जाने पर आरोपी आरोपी द्वारा अपनी आवाज का नमूना नही देने के लिये स्पष्ट रूप से इंकार किया गया जिसकी फर्द प्राप्ति नमूना आवाज पृथक से मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गयी। आरोपी द्वारा उक्त फर्द पर हस्तलिखित अपनी आवाज का नमूना देने से इंकार किया गया है। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने ट्रेप कार्यवाही के दौरान की गयी विडियो रिकॉर्डिग के सम्बन्ध में सरकारी कैमरा में लगे नये मेमोरी कार्ड Kingston कम्पनी का 32 GB को निकालकर कार्ड रीडर की सहायता से लैपटॉप से कनेक्ट कर चैक करने पर उक्त विडियो की क्षमता पैन ड्राईव /मेमोरी कार्ड जितनी होना पायी गयी लेकिन कार्यालय पर पैन ड्राईव Kingston कम्पनी का 64 GB का उपलब्ध होने से संरक्षित विडियो रिकॉर्डिग को बिना छेड़छाड़/कांटछांट के सुरक्षित हालात में मूल मेमोरी कार्ड को रीडर में डालकर लेपटॉप से जोड़कर उसमें रिकॉर्ड वीडियो की हैस वैल्यू निकाली गयी। इसके पश्चात कार्यालय से 02 Kingston कम्पनी की 64 GB की पैन ड्राईव मंगवाये जाकर लैपटाप में उक्त 02 Kingston कम्पनी की 64 GB की पैन ड्राईव को बारी-बारी से लगवाया जाकर खाली होना सुनिश्चित किया गया। इसके पश्चात उक्त दोनो पैन ड्राईव को बारी-बारी से लैपटॉप में डालकर ट्रेप कार्यवाही की विडियों रिकॉर्डिग की मूल

मेमोरी कार्ड से कॉपी की गयी एवं मूल मेमोरी कार्ड की निकाली हैश वैल्यू की कॉपी कर 02 मेमोरी कार्ड में डालकर डाली गयी। इसके पश्चात उक्त Kingston कम्पनी की 64 GB की पैन ड्राईव को बारी-बारी से चैक किया जाने पर विडीयों रिकॉर्डिंग संरक्षित/सेव/कॉपी होना सुनिश्चित किया गया। इस प्रकार मूल मेमोरी कार्ड का अवलोकन करने पर मेमोरी कार्ड Kingston कम्पनी का 32 GB होना पाया गया। जिसको उसके कवर में रखकर कवर को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर की जाकर पैकिट पर मार्क V अंकित कर एवं अन्य 01 Kingston कम्पनी का 64 GB पैन ड्राईव को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर क्रमशः मार्क V-1 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन के समक्ष सील्ड मोहर कर स्वतंत्र गवाहों व सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया जाकर बतौर वजह सबूत जप्त किया गया एवं मेमोरी कार्ड V-2 को (आई.ओ कॉपी) अनुसंधान अधिकारी हेतु अनुसंधान के प्रयोजनार्थ खुली रखी गई। उक्त तकनीकी कार्यवाही मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री सुरजभान कानि. नम्बर 430 द्वारा तैयार की गयी। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द जप्ती एक मूल मेमोरी कार्ड Kingston कम्पनी का 64 GB एवं मूल से कॉपी 02 पैन ड्राईव Kingston कम्पनी 64 GB ट्रेप कार्यवाही दिनांक 29.05.2026 को तैयार की जाकर शामिल ट्रेप कार्यवाही की गयी एवं फर्द नमूना सील काम में ली गई थी जिसकी पृथक से फर्द नमूना सील मूर्तिब कर शामिल कार्रवाही की गई। इसके पश्चात परिवादिया सुश्री रामकन्या व सह परिवादी श्री राधेश्याम को ट्रेप कार्यवाही में कोई कार्रवाही शेष नही होने से एवं स्वतंत्र गवाह को रूखस्त किया गया। इसके पश्चात आरोपी श्री अनिल कुमार से पूछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट मूर्तिब किया जाकर शामिल ट्रेप कार्यवाही किया गया। इसके पश्चात जप्त शुदा आर्टीकल्स व जप्त शुदा रिष्वत राषि व रिष्वत राषि मांग सत्यापन वार्ता व लेनेदन वार्ता की शील्ड शुदा सीडीयॉ जरिये पत्र जमा मालखाना करवाये जाने के लिये पत्र कर जमा करवाये गये। गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री अनिल कुमार को ब्यूरो कार्यालय की मैस से खुराक खिलाई गयी। आरोपी अनिल कुमार को दाखिल हवालात कर निगरानी हेतु श्री सूरजभान कानि. नम्बर 430 को मामर किया जाकर डयूटी अधिकारी प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रनिब्यूरो , सहायक कानि. व सन्तरी पहरा को बताया जाकर हिदायत मुनासिब दी गयी । दिनांक 30.05.2026 करे गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री अनिल कुमार को दैनिक नित्य क्रिया क्रम से निवृत करवाया गया एवं आरोपी श्री अनिल कुमार का 15 योम जेसी रिमाण्ड प्रस्तुत करने के लिये रिमाण्ड तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिनांक 13.06.2026 तक दाखिल कारागृह करवाया जाने का आदेश प्रदान किया जाने पर जेसी वारण्ट प्राप्त कर दाखिल कारागृह करवाया गया। अब तक की ट्रेप कार्यवाही, परिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता, फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द प्राप्ति नमूना आवाज , तथ्यो एवं परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपी श्री अनिल कुमार प्रोपराईटर मैसर्स डायनेमिक मैनपांवर एण्ड सिक्योरिटी सर्विसेज जयपुर (प्लेसमेंट ऐजेन्सी) के प्रोपराईटर/संचालक द्वारा राज्य सरकार के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-द्वितीय के पत्रांक स्टोर/2024/311 दिनांक 01.03.2024 व इसके क्रम में खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी चाकसू के पत्रांक 7844 दिनांक 30.11.2024 के अन्तर्गत डॉक्टर /एएनएम /जीएनएम /सफाई कर्मचारी का कार्य आदेश प्राप्त कर उक्त कार्य आदेश के अन्तर्गत परिवादिया सुश्री रामकन्या को आयुष्मान आरोग्य मन्दिर गरूडवासी मोड चाकसू जिला जयपुर में संविदा पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। नियुक्ति के कुछ समय पश्चात परिवादिया सुश्री रामकन्या द्वारा संचालक/प्रोपराईटर डायनेमिक मैनपांवर एण्ड सिक्योरिटी सर्विसेज जयपुर (प्लेसमेंट ऐजेन्सी) को अपना आधार कार्ड आदि दस्तावेज उपलब्ध करवाये गये थे। आरोपी श्री अनिल कुमार प्लेसमेंट एजेन्सी/अपनी फर्म के माध्यम से निविदा से टेण्डर/कार्यादेश प्राप्त कर संविदा पर लोकसेवक उपलब्ध करवाता था तथा राज्य सरकार से भुगतान प्राप्त करता था तथा राज्य सरकार से प्राप्त भुगतान के पश्चात अपनी फर्म के माध्यम से लगाये गये कार्मिको को भुगतान करता था। परिवादिया सुश्री रामकन्या को उसकी ड्यूटी की एवज में प्रति माह 6300/- रूपये का भुगतान आरोपी श्री अनिल कुमार द्वारा पीएफ व ईएसआई की कटौती के पश्चात किया जाता रहा है। परिवादिया के यूएएन नम्बर, पीएफ, ईएसआई उसकी एमप्लाई आईडी/सर्विस से लिंक करने(जाडने) के लिये आरोपी श्री अनिल कुमार द्वारा 50,000/- हजार रूपये की रिश्वत राशि की अनुचित/अवैध अनुचित रूप से स्वय के लिये मांग करने पर परिवादिया सुश्री रामकन्या द्वारा दिनांक 20.05.2026 को एसीबी में शिकायत प्रस्तुत की गई। दिनांक 21.05.2026 को परिवादी व सह परिवादी श्री राधेश्याम से आरोपी श्री अनिल कुमार द्वारा अनुचित/अवैध रूप से रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान 40,000/- हजार रूपये की अनुचित रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिये सहमति प्रदान करना , प्राप्त करने का प्रयास किया गया एवं आरोपी द्वारा सत्यापन के दौरान ही 5,000/- हजार रूपये की रिश्वत राशि सह परिवादी श्री राधेश्याम से प्राप्त की गयी एवं शंका होने पर आरोपी श्री अनिल कुमार द्वारा वापस सह परिववादी को लौटते हुये एक साथ पूरी अनुचित रिश्वत राशि देने के बारे में बताया गया। दिनांक 22.05.2026 को आरोपी द्वारा परिवादिया के यूएन नम्बर को जोडकर लिंक कर दिये है लेकिन पीएफ के नम्बर सिस्टम मे नही जोडे गये थे तथा शंका होने पर रिश्वत राशि प्राप्त नही की गयी। दिनांक 27.05.2026 को सह परिवादी श्री राधेश्याम द्वारा जरिये दूरभाष आरोपी श्री अनिल कुमार से सुश्री रामकन्या की पीएफ/ईएसआई चालू/सर्विस खाता से लिंक करने के बारे मे वार्ता की जाने पर आरोपी श्री अनिल कुमार द्वारा दिनांक 28.05.2026 को बुलाया गया, लेंकिन परिवादी द्वारा बाहना बनाकर बाहर होना बताया। दिनांक 29.05.2026 को सह परिवादी श्री राधेश्याम से उसकी रिश्ते की भतीजी सुश्री रामकन्या के वैध कार्य

पीएफ व ईएसआई उसके सर्विस खाते से लिंक एवं जोडने की ऐवज में आरोपी श्री अनिल कुमार द्वारा 40,000/- रूपये की अनुचित रिश्वत राशि अपने स्वयं के लिये भ्रष्ट एवं अवैध साधनो से सह परिवादी श्री राधेश्याम से अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर, गिनकर अपने कार्यालय कक्ष की कम्प्यूटर टेबल पर रखे की बोर्ड पर रखना, उक्त राशि कीबोर्ड से बरामद होना, आरोपी के पास परिवादिया का वैध कार्य ट्रेप दिनांक 29.05.2026 तक लम्बित होना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया। आरोपी के हाथो के धोवन का रंग हल्का गुलाबी व गुलाबी होना पाया गया। आरोपी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सुभाष चन्द जाट, जाति जाट, उम्र 40 साल, निवासी- गांव दिलालपुर पुलिस थाना मण्डलेरा, जिला झुझुन्नू हाल निवासी प्लाट नम्बर 43, रतन सागर कॉलोनी, इस्कॉन रोड, पुलिस थाना पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर, जयपुर हाल प्रॉपराईटर डायनेमिक मैनपांवर एण्ड सिक्योरिटी सर्विसेज जयपुर (प्लेसमेंट ऐजेन्सी) का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत अपराध धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधि. 1988 (यथा संषोधित) अधिनियम 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से उपरोक्त के विरूद्व विस्तृत अनुसंधान हेतु उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित है। भवदीय (अर्चना मीणा) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एस.यू-1 जयपुर...........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती अर्चना मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.-प्रथम जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सुभाष चन्द जाट, जाति जाट, उम्र 40 साल, निवासी- गांव दिलालपुर पुलिस थाना मण्डलेरा, जिला झुझुन्नू हाल निवासी प्लाट नम्बर 43, रतन सागर कॉलोनी, इस्कॉन रोड, पुलिस थाना पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर, जयपुर हाल प्रॉपराईटर डायनेमिक मैनपांवर एण्ड सिक्योरिटी सर्विसेज जयपुर (प्लेसमेंट ऐजेन्सी) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेन्द्र पंचोली, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसआईडब्लू जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 31 पर अंकित है। (सुनिल सिहाग) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 894-96 दिनांक 02.06.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-01 जयपुर 2- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर आयुक्तालय 3- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस. यू.-प्रथम जयपुर । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** SURENDRA PANCHOLI **Rank** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): **(पद):**

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Sunil Sihag
Location: Rajasthan,IN
Date: 02/06/2026 18:25:28

Name(नाम): Sunil Sihag

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1986				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)